समाचार वाणी

ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

बेगंलुरु मे भंारी बारिश से तबाही, अब तक 5 मौते ! IMD का ऑरेजं अलर्ट जारी, जानिए ताज़ा अपडेट ।

Publisher

Published on 20 May 2025

बेगंलुरु मे भंारी बारिश ने जनजीवन को किया प्रभावित, आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह, सरकार ने 210 बाढ़ प्रभावित इलाकों मे रांहत कार्य तेज़ किए ।

बेगंलुरु: कर्नाटक की राजधानी **बेगंलुरु मे भंारी बारिश ने जनजीवन** को बुरी तरह प्रभावित किया है। **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** ने मंगलवार को शहर के लिए '**ऑरेजं अलर्ट**' जारी किया है, जिसमें अगले **24 घंटों मे 11 से 20 सेमी** तक वर्षा की संभावना जताई गई है। इससे पहले IMD ने कर्नाटक के कुछ अन्य हिस्सों के लिए 'येलो अलर्ट' भी जारी किया था।

IMD बेंगलुरु के निदेशक **एन. पुवियारसु** ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्याओं और अत्यधिक कंक्रीट निर्माण के कारण बारिश का प्रभाव ज्यादा घातक हो सकता है।

अब तक 5 लोगों की मौत बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है:
१. **बीटीएम लेआउट मे करंट लगने से 2 मौते** (63 वर्षीय व्यक्ति और 12 वर्षीय बच्चा)
२. **महादेवपुरा** में दीवार गिरने से एक महिला की मौत
३. **रायचूर** और **कारवार** में बिजली गिरने से दो अन्य लोगों की मौत

सबसे अधिक प्रभावित जिले:

१. **बेगंलुरु शहरी**
२. **बेलगाम**
३. **कोप्पल**
४. **बागलकोट**
५. **धारवाड़**
६. **चिक्कबल्लापुरा**
७. **कोलार**
८. **विजयनगर**

प्रशासन की तैयारी और राहत कार्य

उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने जानकारी दी कि 210 बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से 166 में सुधार कार्य पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स के लिए तय किया है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने की घोषणा की है और 21 मई को शहरी निरीक्षण करने की बात कही है।

IT कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का सुझाव

भाजपा सांसद **पीसी मोहन ने Infosys** और अन्य बड़ी कंपनियों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को **वर्क फ्रॉम होम** की सुविधा दें, ताकि ट्रैफिक और मौसम जनित जोखिम से बचा जा सके।

BBMP को ₹50 लाख का नोटिस

शहर की टूटी सड़कों से हुई चोटों को लेकर एक निवासी दिव्य किरण ने ब्रुहत **बेगंलुरु महानगर पालिका (BBMP)** को ₹50 लाख का मुआवज़ा देने की मांग करते हुए कानूनी नोटिस भेजा है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.